दिनांक-15.02.2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की अध्यक्षता में आयोजित शासी परिषद की 22 वीं बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति- पंजी के अनुसार।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के प्रस्तावों पर शासी परिषद द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

कार्यावली बिन्दु:-01:- दिनांक-10.10.2018 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही (परिशिष्ट-01) की सम्पुष्टि।

कार्यावली बिन्दु:-02:- दिनांक-10.10.2018 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि (परिशिष्ट-02)।

कार्यावली बिन्दु:-03:-बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट का अनुमोदन ।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के स्तर से सम्पादित/क्रियान्वित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के दृष्टिगत वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 138,09,88,920.00 (एक सौ अड़तीस करोड़ नौ लाख अठासी हजार नौ सौ बीस) का विषय शीर्षवार एवं मदवार बजट तैयार किया गया है। इस बजट प्राक्कलन को शासी परिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में मिशन कार्यालय के पत्रांक-1817, दिनांक-20.12.2018 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है।

विषय शीर्षवार बजट प्राक्कलन, प्राप्तियाँ, व्यय एवं अवशेष राशि का प्रतिवेदन निम्नवत है :-

वित्तीय वर्ष	विषय शीर्ष	बजट प्राक्कलन	प्राप्त सहायक अनुदान	अब तक का व्यय	अवशेष राशि
2017-18	3104- वेतनादि	697929960.00	400000000.00	389953645.00	10046355.00
	3106-वेतनादि के अलावा	734717000.00	185251000.00	124810531.00	60440469.00
	कुल	1432646960.00	585251000.00	514764176.00	70486824.00
2018-19	3104- वेतनादि	691315674.00	400000000.00	360429059.00	39570941.00
	3106-वेतनादि के अलावा	854968700.00	293251000.00	51148556.00	242102444.00
	कुल	1546284374.00	693251000.00	411577615.00	281673385.00
2019-20	3104- वेतनादि	664820220.00			
	3106-वेतनादि के अलावा	716168700.00			
	कुल	1380988920.00			

194

वित्तीय वर्ष 2019-20 के विषय शीर्ष 3106- वेतनादि के अलावा मद के बजट प्राक्कलन में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के लिए रू. 52.00 करोड़ एवं नयी व्यवस्था के तहत भा.प्र.से. तथा बि.प्र.से. के पदाधिकारियों को 4G Support वाले मोबाईल फोन के क्रय पर निर्धारित अधिसीमा में राशि की प्रतिपूर्त्ति के लिए 2.5 करोड़ की राशि भी शामिल है ।

* वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट प्राक्कलन की पदवार एवं मदवार विवरणी परिशिष्ट-'03' के रूप में संलग्न है ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 138,09,88,920.00 (एक सौ अड़तीस करोड़ नौ लाख अठासी हजार नौ सौ बीस रूपये) के बजट प्राक्कलन पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत

कार्यावली बिन्दुः-04ः- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में सहायक अनुदान की अवशेष राशि को वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय किए जाने का अनुमोदन ।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त होने वाले सहायक अनुदान से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के मुख्यालय स्तर पर व्यय के साथ ही इस सोसाइटी के विभिन्न RSUs को व्यय हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है । वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के सहायक अनुदान के रूप में विषय शीर्षवार कुछ राशि अवशेष है जिसका विवरण कार्यावली बिन्दु-3 की तालिका में द्रष्टव्य है ।

वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात भी सहायक अनुदान की राशि का प्रत्यर्पण नहीं होने के आलोक में वर्ष 2017-18 एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के सहायक अनुदान की अवशेष राशि को आगामी वित्तीय वर्ष में भी व्यय किये जाने के बिन्दु पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है ।

निर्णय	स्वीकृत

कार्यावली बिन्दु:-05:- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वंयन के लिए कार्यपालक सहायकों के सृजित किए गए कुल 806 पदों में 56 पदों को मिशन मुख्यालय स्तर पर Floating Post के रूप में रखने के निर्णय का घटनोत्तर अनुमोदन ।

लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में परिवादों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि के कारण अतिरिक्त कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया जा रहा है । बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभागीय ज्ञापांक-5354, दिनांक-12.04.2016 द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा आधारित/वाहय स्रोत से सेवा प्राप्त किए जाने वाले जिन कुल-1233 पदों की स्वीकृति दी गयी है उसमें कार्यपालक सहायक के कुल-806 पद हैं। नियोजन उपरांत कार्य बोझ के आकलन के आधार पर कुछ कार्यपालक सहायकों की सेवा वापसी की गयी जिसका अनुमोदन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 18वीं बैठक में प्राप्त किया गया है । बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए यद्यपि कार्यपालक सहायकों के कुल-806 पद सृजित हैं परन्तु सम्प्रति 750 को ही नियोजित (कार्यरत) रखने का निर्णय है, परिणामत: कार्यपालक सहायकों के स्वीकृत किए गए कुल 806 पदों में 56 पद नियोजन हेतु शेष बचे हुए हैं ।

इसी के दृष्टिगत पटना जिला से नियोजन करने योग्य 246 पदों में रिक्त रखे गए 56 पदों को मिशन मुख्यालय स्तर पर Floating मानकर, कार्यपालक सहायकों की जहाँ अतिरिक्त पद की आवश्यकता हो वहां इस Floating पद से कार्यबल उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद के निर्णय की प्रत्याशा में मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष शासी परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु कार्यपालक सहायक के पद के संदर्भ में लिये गये उपर्युक्त निर्णय पर शासी परिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत

192

कार्यावली बिन्दु:–06:– दिनांक-10.10.2018 के शासी परिषद की बैठक के कार्यावली बिन्दु-04 के क्रम में वित्त विभाग के सहमति के आलोक मे बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यपालक सहायकों, आई0टी0 सहायकों एवं आई0टी0 प्रबंधकों के मानदेय वृद्धि को लागू करने के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन।

दिनांक-10.10.2018 को मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष शासी परिषद, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की अध्यक्षता में आयोजित शासी परिषद की 21वीं बैठक की कार्यावली बिंदु 04 यथा "बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के अंतर्गत संविदा पर नियोजित आई0टी0 प्रबंधकों, आई0टी0 सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव के क्रम में शासी परिषद के दिनांक-24.05.2018 के बैठक में कार्यावली बिन्दु 02 अंतर्गत लिये गये निर्णय तथा दिनांक-27.07.2016 बैठक में कार्यावली बिंदु-22 अन्तर्गत लिये गये निर्णय का आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदन" के क्रम में शासी परिषद द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अन्तर्गत संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों, आई०टी० सहायकों एवं आई०टी० प्रबंधकों के मानदेय में वृद्धि/पुनर्निर्धारण करते यह निर्णय लिया गया था कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत सभी कार्यपालक सहायकों, आई0टी0 सहायकों एवं आई0टी0 प्रबंधकों के मानदेय में वृद्धि/पुनर्निधारण निम्नलिखित अनुसार करने तथा उक्त पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर लागू किया जायेगा।

उक्त क्रम में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यपालक सहायकों, आई0टी0 सहायकों एवं आई0टी0 प्रबंधकों के मानदेय वृद्धि के निर्णय के क्रम में वित्त विभाग द्वारा सम्भावित अतिरिक्त वार्षिक व्यय 49,40,000,00.00 (उन्चास करोड़ चालिस लाख) रूपये आदि को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित मंतव्य/सहमति दी गई है:-

"... सोसाइटी अंतर्गत संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों, आई0टी0 सहायकों एवं आई0टी0 प्रबंधकों के मानेदय में वृद्धि/पुर्ननिर्धारण संबंधी लिए गए शासी परिषद के निर्णय से वित्त विभाग सहमत हो सकता है। प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के संबंध में प्रशासी विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) आश्वस्त हो लेना चाहेगा।"।

यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायक के मानदेय निर्धारण एवं वृद्धि के संबंध में लिये गये निर्णय एवं लागू करने की प्रक्रिया की विवरणी निम्नवत है :-

कार्यपालक सहायक

क्र.	शासी परिषद की बैठक की तिथि	मानदेय	अभ्युक्ति
1.	वर्ष 2010	6,000.00	प्रथम नियोजन के समय निर्धारित मानदेय
2.	दिनांक-14.06.2011	7,000.00	शासी परिषद के निर्णय एवं अनुमोदन के उपरान्त लागू
3.	दिनांक-18.06.2013	9,000.00	शासी परिषद के निर्णय एवं अनुमोदन के उपरान्त लागू
4.	दिनांक-11.03.2015	10,532.00 तथा वित्त विभाग की सहमति/अनुमोदन के उपरान्त 11,345.00	शासी परिषद के निर्णय, अनुमोदन एवं वित्त विभाग की सहमति/अनुमोदन के उपरान्त लागू

आई० टी० सहायक

क्र.	शासी परिषद की बैठक की तिथि	मानदेय	अभ्युक्ति
1.	दिनांक-02.12.2010	8,000.00	शासी परिषद के निर्णय एवं अनुमोदन के उपरान्त लागू
2.	दिनांक-18.06.2013	10,000.00	शासी परिषद के निर्णय एवं अनुमोदन के उपरान्त लागू
3.	दिनांक-11.03.2015	17,000.00	शासी परिषद के निर्णय, अनुमोदन एवं वित्त विभाग की सहमति/अनुमोदन के उपरान्त लागू

आई० टी० प्रबंधक

क्र.	शासी परिषद की बैठक की तिथि	मानदेय	अभ्युक्ति
1.	वर्ष 2010	30,000.00	प्रथम नियोजन के समय निर्धारित मानदेय
2.	दिनांक-11.03.2015	40,000.00	शासी परिषद के निर्णय, अनुमोदन एवं वित्त विभाग की सहमति/अनुमोदन के उपरान्त लागू

190

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि पूर्व में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन संविदा कर्मियों की मानदेय वृद्धियाँ शासी परिषद के बैठक के निर्णय एवं अनुमोदन के आलोक में लागू की गई है तथा इसके लिये अलग से मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में दिनांक-10.10.2018 के शासी परिषद की बैठक के कार्यावली बिन्दु-04 के क्रम में वित्त विभाग के उपर्युक्त सहमति के आलोक मे बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यपालक सहायकों, आई0टी0 सहायकों एवं आई0टी0 प्रबंधकों के मानदेय वृद्धि को लागू करने के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत

कार्यावली बिन्दुः-07ः- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-3/एम०-13/2018 सा० -12534, दिनांक-17.09.2018 के द्वारा विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों से संबंधित स्वीकृतियाँ को शासी परिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में लागू करने के बिन्दु पर संचिका संख्या-बि0प्र0सु0मि0सो0/स्था0-46/2018 के पृ0-14/टि0 पर प्राप्त स्वीकृती का घटनोत्तर अनुमोदन।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-3/एम०-13/2018 सा० -12534, दिनांक-17.09.2018 के द्वारा विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों हेतु संविदा कर्मियों को सेवानिवृत्ति की आयु तक अथवा योजना अवधि, जो भी पहले हो, तक कार्य करने के संबंध में तथा अवकाश की अनुमान्यता के संबंध में जो निर्णय लिये गये है, को लागू करने हेतु अध्यक्ष-सह-मुख्य सचिव, शासी परिषद्, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का

निम्नलिखित अनुमोदन संचिका संख्या-बि0प्र0सु0मि0सो0/स्था0-46/2018 के पृ0-14/टि0 पर प्राप्त है।

1. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत अंतर्गत सृजित संविदात्मक पद पर नियोजित आई0टी0 प्रबंधकों, आई0टी0 सहायकों तथा कार्यपालक सहायकों के नियोजन अवधि के संबंध में:-

(क) बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना योजना अंतर्गत संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत आई0टी0 प्रबंधकों, आई0टी0 सहायकों तथा कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी है तथा योजना की समाप्ति अथवा 60 वर्ष की आयु, जो पहले लागू हो, तक के लिये है।

(ख) अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर या असंतोषजनक सेवा के कारण योजना अवधि के पूर्व भी सक्षम प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्त की जा सकती है। कार्यपालक सहायक तथा आई0टी0 सहायक के मामले में सक्षम प्राधिकार संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति है तथा आई0टी0 प्रबंधक के मामले में सक्षम प्राधिकार मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना है।

(ग) संविदा नियुक्ति की अन्य शर्तें नियुक्ति के समय निर्गत नियुक्ति पत्र एकरारनामा में अंकित यथावत रहेंगी।

(घ) बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना योजना के अन्तर्गत कार्यरत सभी संविदा कर्मियों का प्रत्येक वर्ष किया जाने वाला संविदा अवधि विस्तार को उच्चस्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में योजना अवधि समाप्ति होने तथा समय-समय पर विस्तारित होने तक के लिए संविदा कर्मियों का संविदा अवधि विस्तार किये जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

2. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत अंतर्गत सृजित संविदात्मक पद पर नियोजित आई0टी0 प्रबंधकों, आई0टी0 सहायकों तथा कार्यपालक सहायकों के अवकाश की अनुमान्यता:-

(क) बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों को समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित अवकाश का प्रावधान किया जाता है :-

188

i. आकस्मिक अवकाश-सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 12 दिन एवं सप्ताह में 6 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 16 दिन,

ii. अर्जित अवकाश-एक वर्ष में 16 दिन (सेवा के दूसरे वर्ष से लागू) एवं 60 दिन अधिकतम अवकाश संचित किया जा सकता है,

iii. मातृत्व अवकाश- मातृत्व अवकाश की सुविधा ऐसी सभी महिला कर्मियों को उपलब्ध होगी जो पिछले 12 महीनों में 80 दिनों के लिए कार्य कर चुकी हैं। अनुमानित प्रसव तिथि के पहले आठ सप्ताह तक का अवकाश अनुमान्य है एवं शेष 18 सप्ताह शिशु के जन्म के बाद अनुमान्य है।

दो बच्चों के बाद मात्र 12 सप्ताह के लिए आवकाश अनुमान्य होगा-छः सप्ताह अनुमानित प्रसव तिथि के पहले एवं छः सप्ताह शिशु जन्म के बाद।

तीन महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली या सरोगेट माँ को भी 12 सप्ताह की छुट्टी देय होगी।

iv. पितृत्व अवकाश-15 दिन (दो बच्चों तक)

v. अवैतनिक अवकाश-30 दिन।

(ख) अवकाश किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है। अतः अवकाश पर जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन आवश्यक है। अनाधिकृत रूप से अवकाश पर जाने पर संबंधित कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। जो कर्मी बिना किसी सूचना के 15 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित पाये जाते हैं, उनके पद को रिक्त घोषित किया जाएगा एवं संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी।

उपरोक्त के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-3/एम०-13/2018 सा० -12534, दिनांक-17.09.2018 (पृष्ठ-29-01/प०) के द्वारा विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों हेतु संविदा कर्मियों को सेवानिवृत्ति की आयु तक अथवा योजना अवधि, जो भी पहले हो, तक कार्य करने के संबंध में तथा अवकाश की अनुमान्यता के संबंध में जो

निर्णय लिये गये है, को लागू करने के उपरोक्त निर्णय पर शासी परिषद् का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत

अन्यान्य :— सचिव, वित्त (व्यय) विभाग -सह- सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि जिलों में लेखा संधारण को सहज बनाने के लिए Tally Accounting System को Introduce किया जाना उपयुक्त होगा। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी इस सुझाव पर आगे समुचित कार्रवाई करेगा।

बैठक की कार्यावाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/-
(राजेश कुमार)
सयुक्त निदेशक
महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के प्रतिनिधि

ह0/-
(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
अपर सचिव
सचिव, योजना एवं विकास विभाग के प्रतिनिधि

ह0/-
(सतीश रंजन सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी
अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के प्रतिनिधि

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव, वित्त (व्यय) -सह- सचिव सूचना प्रावैधिकी विभाग

ह0/-
(अखिलेश कुमार जैन)
सचिव, विधि विभाग

ह0/-
(आमिर सुबहानी)
मिशन निदेशक-सह-अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग

ह0/-
(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव, बिहार

186

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

ज्ञापांक:-बि0प्र0सु0मि0सो0/योजना-02/2012,(खण्ड)....476....दिनांक-05/03/2019

प्रतिलिपि:- महानिदेशक, बिपार्ड/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/ सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार/सचिव, विधि विभाग, बिहार/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन को कार्यवाही की प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

5/3/19

(डॉ0 प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांक:-बि0प्र0सु0मि0सो0/योजना-02/2012,(खण्ड)....476....दिनांक-05/03/2019

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद एवं विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

5/3/19

(डॉ0 प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक

परिशिष्ट–02

दिनांक–15.02.2019 को पूर्वाहन् 11.00 बजे बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के शासी परिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन प्रतिवेदन ।

क्र. सं.	अनुपालन बिंदु	अनुपालन की स्थिति
1.	**कार्यावली बिन्दुः–01ः–** दिनांक–10.10.2018 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही (परिशिष्ट–01) की सम्पुष्टि।	**अनुपालन अपेक्षित नहीं।**
2.	**कार्यावली बिन्दुः–02ः–** दिनांक–10.10.2018 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि (परिशिष्ट–02)।	**अनुपालन अपेक्षित नहीं।**
3.	**कार्यावली बिन्दुः–03ः–**बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2019–20 के रू.138,09,88,920.00 (एक सौ अड़तीस करोड़ नौ लाख अठासी हजार नौ सौ बीस रूपये) के बजट प्राक्कलन का अनुमोदन । **निर्णय** | **स्वीकृत**	**अनुपालित ।** बजट प्राक्कलन को प्रशासी विभाग को भेज दिया गया है ।
4.	**कार्यावली बिन्दुः–04ः–** बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में सहायक अनुदान की अवशेष राशि को वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय किए जाने का अनुमोदन । **निर्णय** | **स्वीकृत**	**अनुपालित ।** निर्णय के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है ।
5.	**कार्यावली बिन्दुः–05ः–** बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए कार्यपालक सहायकों के सृजित किए गए कुल 806 पदों में 56 पदों को मिशन मुख्यालय स्तर पर Floating Post के रूप में रखने के निर्णय का घटनोत्तर अनुमोदन । **निर्णय** | **स्वीकृत**	**अनुपालित ।** मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव उपस्थापित किया गया है ।

6.	**कार्यावली बिन्दुः–06ः–** दिनांक–10.10.2018 के शासी परिषद की बैठक के कार्यावली बिन्दु–04 के क्रम में वित्त विभाग के सहमति के आलोक मे बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यपालक सहायकों, आई0टी0 सहायकों एवं आई0टी0 प्रबंधकों के मानदेय वृद्धि को लागू करने के प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन। **निर्णय** — **स्वीकृत**	**अनुपालित ।** मिशन कार्यालय के पत्रांक–488, दिनांक–07.03.2019 द्वारा इस आशय का आदेश निर्गत कर दिया गया है ।
7.	**कार्यावली बिन्दुः–07ः–** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक–3/एम०–13/2018 सा० –12534, दिनांक–17.09.2018 के द्वारा विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों से संबंधित स्वीकृतियों को शासी परिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में लागू करने के बिन्दु पर संचिका संख्या–बि0प्र0सु0मि0सो0/स्था0–46/2018 के पृ0–14/टि0 पर प्राप्त स्वीकृती का घटनोत्तर अनुमोदन। **निर्णय** — **स्वीकृत**	**अनुपालित ।** मिशन कार्यालय के पत्रांक–436,दिनांक–26.02.2019 द्वारा इस आशय का आदेश निर्गत कर दिया गया है ।
8.	**अन्यान्य :–** सचिव, वित्त (व्यय) विभाग –सह– सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि जिलों में लेखा संधारण को सहज बनाने के लिए Tally Accounting System को Introduce किया जाना उपयुक्त होगा। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी इस सुझाव पर आगे समुचित कार्रवाई करेगा।	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के स्तर पर केन्द्रीकृत भुगतान प्रणाली गठित किए जाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है ।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

परिशिष्ट–3

वेतन मद (विषय शीर्ष–3104) में वित्तीय वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित व्यय की विवरणी

क्रम सं0	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत बल की संख्या	मासिक वेतन /मानदेय (लगभग)	मासिक अनुमानित कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	चालक	1	1	35000.00	35000.00	2550-3200
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5	5	19643.00	98215.00	संविदा पर
3	लेखापाल	1	1	40000.00	40000.00	संविदा पर
4	वरीय प्रोग्रामर	2	0	60000.00	0.00	संविदा पर
5	प्रोग्रामर	4	2	33400.00	66800.00	संविदा पर
6	डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	1	0	40000.00	0.00	संविदा पर
7	आई.टी. प्रबंधक (वर्ग–1)	58	45	41956.00	1888020.00	संविदा पर
8	आई.टी. प्रबंधक (वर्ग–2)	55	55	55198.00	3035890.00	संविदा पर
9	सलाहकार	2	0	40000.00	0.00	संविदा पर
10	कार्यालय प्रबंधक	1	0	20000.00	0.00	संविदा पर
11	टैली आपरेटर	1	0	16000.00	0.00	संविदा पर
12	आई.टी. सहायक	910	686	23270.00	15963220.00	संविदा पर
13	फैक्स/फोटो कॉपी संचालक	1	1	8000.00	8000.00	संविदा पर
14	टेलीफोन ऑपरेटर	1	0	8000.00	0.00	संविदा पर
15	रिसेप्सनिश्ट (महिला)	1	0	10700.00	0.00	संविदा पर
16	आदेशपाल	5	5	8000.00	40000.00	संविदा पर
17	कार्यालय ब्वॉय	3	3	8000.00	24000.00	संविदा पर
18	जेनरेटर ऑपरेटर	1	1	8000.00	8000.00	संविदा पर
19	सुरक्षा गार्ड	5	5	23500.00	117500.00	संविदा पर
20	कार्यपालक सहायक (वर्ग–1)	806	736	16843.00	12396448.00	संविदा पर (BRPGRA)
21	कार्यपालक सहायक (वर्ग-2)	2139	2088	19643.00	41014584.00	संविदा पर
22	जिज्ञासा हेल्पलाईन (कार्यपालक)	10	10	20700.00	207000.00	बाह्य स्त्रोत से
23	जिज्ञासा हेल्पलाईन (सुपरवाईजर)	2	0	26700.00	0.00	बाह्य स्त्रोत से
24	मल्टी टास्किंग स्टाफ–MTS(बाह्य स्रोत से) अथवा गृह रक्षक (होम गार्ड)	278	278	23500.00	6533000.00	बाह्य स्त्रोत/गृह रक्षक
25	प्रोग्रामर (बेल्ट्रॉन से)	4	0	18545.00	0.00	बाह्य स्त्रोत से
	कुल योग	4297	3922	624598.00	81475677.00	
	बकाया मानदेय (माह जुलाई,2018 से मार्च 2019 तक)				239754348.00	
	वार्षिक व्यय (81475677.00 X 12 माह)+239754348				1217462472.00	

(एक सौ एक्कीस करोड़ चौहत्तर लाख बासठ हजार चार सौ बहत्तर)

कुल पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन

1	सहायक अनुदान शीर्ष 3104– वेतन मद	1217462472.00
2	सहायक अनुदान शीर्ष 3106– गैर वेतन मद	196168700.00
	सर्वयोग	1413631172.00

(एक सौ एकतालीस करोड़ छत्तीस लाख एकतीस हजार एक सौ बहत्तर)

182

	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग)	
	गैर वेतन मद (विषय शीर्ष–3106) में वित्तीय वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित व्यय की विवरणी	
क्र	मद	कुल
1	इनवर्टर एवं बैटरी तथा इनका वार्षिक रख–रखाव (सभी प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय में आर.टी.पी.एस. कार्य हेतु तथा सभी जिला एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदा0 के कार्यालयों के लिए)	1000000.00
2	वेबकैम /CCTV अधिष्ठापन	1000000.00
3	सी.यू.जी. मोबाईल के विपत्र का भुगतान	6000000.00
4	विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार हेतु	10000000.00
5	वाहन (भाड़ा सहित) एवं ईंधन	65000000.00
6	ए.सी. क्रय तथा इसका वार्षिक रख–रखाव	1000000.00
7	EPBX+Camera+Intercom	1000000.00
8	ऑनलाईन यू.पी.एस.	1000000.00
9	पेस्टिसाईड कन्ट्रोल	100000.00
10	कार्टिज एवं कार्यालय स्टेशनरी आदि	1000000.00
11	विभिन्न बैठक हेतु	3000000.00
12	दूरभाष एवं इन्टरनेट	2500000.00
13	विद्युत विपत्र	3000000.00
14	डाक प्रेषण	100000.00
15	विविध व्यय	10000000.00
16	आतिथ्य व्यय	500000.00
17	कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला एवं सेमिनार	10000000.00
18	लैपटॉप (भा0प्र0से0 तथा बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों के लिए)	10000000.00
19	समाचार पत्र / पत्रिका / जर्नल / पुस्तक इत्यादि	100000.00
20	RTPS/BRPGRA कार्य इत्यादि से क्षेत्र भ्रमण / बैठक	1000000.00
21	अग्निशमन यंत्र	100000.00
22	वाटर प्यूरिफायर / वाटर कूलर	100000.00
23	पारितोषिक	100000.00
24	पुस्तकालय	500000.00
25	प्रकाशन	2000000.00
26	पदाधिकारियों के मोबाइल क्रय हेतु	25000000.00
27	IT Hardware/Software क्रय / रखरखाव	20000000.00
28	फर्नीचर(अभिलेख / सामग्री रखरखाव हेतु आलमारी एवं उपस्कर)	1000000.00
29	पदाधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण	2000000.00
30	कार्यालय का जीर्णोंद्धार एवं निर्माण (RTPS काउंटर एवं BRPGRA काउंटर के उन्नयन सहित)	10000000.00
31	e-Office परियोजना का क्रियान्वयन	500000.00
32	उप निदेशक, वित्त का मानदेय	390500.00
33	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, सा.प्र.वि.का मानदेय	178200.00
34	BRPGRA कॉल सेन्टर के संचालन हेतु	2000000.00
35	प्रस्तावित सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली का क्रियान्वयन	5000000.00
	कुल योग	**196168700.00**

उन्नीस करोड़ एकसठ लाख अड़सठ हजार सात सौ

सामान्य प्रशासन विभागीय ज्ञापांक–17375, दिनांक–17.12.2014 द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी हेतु स्वीकृत किए गए पदों में से अगले आदेश तक अवधि विस्तार हेतु प्रस्तावित पदों का विवरण ।

परिशिष्ट–4(क)

क्र. सं.	पद का नाम	सा.प्र.वि. के पत्रांक – 17375, दिनांक– 17.12.2014 के द्वारा स्वीकृत पद	प्रत्यर्पण हेतु प्रस्तावित पदों की संख्या	अवधि विस्तार हेतु प्रस्तावित पदों की संख्या	मासिक मानदेय	अभ्युक्ति
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा पर) (कार्यपालक सहायक के रूप में कार्यरत)	5	5	0	00	कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा पर) के पद पर नियोजन नहीं होने के कारण प्रत्यर्पण का प्रस्ताव है ।
2	चालक (संविदा पर)	1	0	1	35000.00	
3	लेखापाल (संविदा पर)	1	0	1	40000.00	
4	सिनियर प्रोग्रामर (संविदा पर)	2	0	2	60000.00	
5	प्रोग्रामर (संविदा पर)	4	0	4	33400.00	
6	डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर (संविदा पर)	1	0	1	40000.00	
7	आई०टी० प्रबंधक (संविदा पर)	80	0	80	41956.00 55198.00	
8	सलाहकार (संविदा पर)	2	0	2	40000.00	
9	कार्यालय प्रबंधक (बाह्य स्रोत से)	1	0	1	20000.00	
10	टेली ऑपरेटर (संविदा पर)	1	0	1	16000.00	
11	आई०टी० सहायक (संविदा पर)	767	0	767	23270.00	
12	फैक्स फोटो कॉपी संचालक (संविदा पर)	1	0	1	8000.00	
13	टेलीफोन ऑपरेटर (महिला) (संविदा पर)	1	0	1	8000.00	
14	रिसेप्सनिस्ट (महिला) (संविदा पर)	1	0	1	10700.00	
15	आदेशपाल (संविदा पर)	5	0	5	8000.00	
16	ऑफिस ब्यॉय (बाह्य स्रोत से)	3	0	3	8000.00	
17	जेनेरेटर संचालक (बाह्य स्रोत से)	1	0	1	8000.00	
18	सुरक्षा गार्ड (गृह रक्षक)	5	0	5	23500.00	
19	हेल्पलाईन एग्जीक्यूटिव (बाह्य स्रोत से)	10	0	10	20700.00	
20	हेल्पलाईन सुपरवाईजर (बाह्य स्रोत से)	2	0	2	26700.00	
21	जन शिकायत पदाधिकारी (संविदा पर) (विभाग+जिला)	154	154	0	00	जन शिकायत कोषांगों का विघटन हो जाने के कारण
22	कार्यपालक सहायक (संविदा पर)	1605	0	1605	16843.00 19643.00	
23	कार्यपालक सहायक (जन शिकायत कोषांग) (विभाग (मिशन)+जिला = 18+136) (संविदा पर)	154	154	0	00	जन शिकायत कोषांगों का विघटन हो जाने के कारण
	कुलः	**2807**	**313**	**2494**		

अवधि विस्तार हेतु प्रस्तावित पदों पर वर्त्तमान मानदेय दरों के आधार पर वार्षिक वित्तीय भार रु. 98,74,62,472.00 (अंठानबे करोड़ चौहत्तर लाख बासठ हजार चार सौ बहतर) अनुमानित है ।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी हेतु नए सृजित किए जाने वाले प्रस्तावित पदों का विवरण ।

परिशिष्ट–4(ख)

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	मासिक मानदेय	वार्षिक व्यय	अभ्युक्ति
1.	कार्यपालक सहायक (मिशन–मुख्यालय स्तर)	10	16843.00	2021160.00	संविदा पर
2.	ऑफिस ब्वॉय/ऑफिस गर्ल	7	8000.00	672000.00	वाह्य स्रोत से

नए सृजित किए जाने हेतु प्रस्तावित पदों पर वार्षिक वित्तीय भार रु. 26,93,160.00 (छब्बीस लाख तिरानवे हजार एक सौ साठ) अनुमानित है ।